HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 21,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 20.02.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 06.01.2019 को अभियुक्त मोहसीन पुत्र अकबर निवासी ग्राम बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 03/2019 धारा 452, 376 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.02.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.02.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 21,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री नंदलाल सरोज एवं पैरोकार का0 अनुज व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा।